फर्द अहकाम

मनभर देवी बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्याः 312/2024

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9.2024	प्रार्थी अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जैन ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसील सांगानेर के ग्राम इन्द्रपुरी पटवार हल्का शिकारपुरा मे प्रार्थी की एक भूमि खसरा नं. 270/1 रकबा 0.0250 है० स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थिया के नाम हिस्सा दर्ज है शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है इस खसरे के ठीक नीचे खसरा न0 270 रकबा 0.7650 है० स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में जगदीश नारायण के नाम दर्ज है इस प्रकरण मे खसरा न0 270 व 270/1 कि राजस्व नक्शे मे वर्तमान स्थिती को लेकर ही विवाद है जिस त्रुटि को दुरूस्त करवाने बाबत ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त खसरा नम्बर 270 व 270/1 का पूर्व मे मूल खसरा न० 270 रकबा 0.7900 था उक्त खसरा न0 270 के साथ साथ 262, 263, 264, कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 है0 का एक मूल खाता था जिसमे पक्षकार सहखातेदार थे जिनमे से खातेदार जगदीश नारायण ने इस खाते का विधिवत तकासमा करवाने हेतू एक वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष मुकदमा न० 69/2011 उनवानी जगदीश नारायण बनाम मनभर देवी वगै० प्रस्तुत किया था जिसका अन्तिम निर्णय दिनांक 03/03/2016 को किया गया था जिसके तहत खसरा न० 270 रकबा 0.07650 है० को जगदीश नारायण को दिया गया तथा खसरा न० 263, 264 व 270/1 प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो को दिया गया उस बटवॉरे मे खसरा न0 270/1 को खसरा न0 263 व 264 के लगवा ही रखा गया था उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अकन [illegible] था। उक्त तकासमे के पश्चात नये [illegible] बिना किसी अधिकार के, बिना [illegible] करते हुये अप्रार्थी ने वर्तमान राजस्व नक्शे मे खसरा [illegible]0 270 के स्थान पर 270/1 व 270/1 के स्थान पर 270 अंकित कर दिया वर्तमान में खसरा न0 263 व 264 के लगवा खसरा न0 270/1 के स्थान पर खसरा न0 270 अंकित कर रखा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर)

फर्द अहकाम
मनभर देवी बनाम राजस्थान सरकार

9.2024

प्रार्थना पत्र संख्या: ....

है जो नक्शे में तो छोटा ही दिखाया है जबकि जमाबन्दी अनुसार खसरा न0 270 का रकबा 0.7650 है० है इसी प्रकार खसरा न0 270 के नीचे 270/1 अंकित कर दिया जिसका रकबा तो मात्र 0.0250 है० है लेकिन नक्शे में इसे बहुत बडा दिखा रखा है इस प्रकार वर्तमान राजस्व नक्शे त्रुटि है जिसका सुधार करना आवश्यक है।उक्त त्रुटि एक लिपिकीय त्रुटि है उक्त त्रुटि सहवन से कारित हुई है। इस बाबत कोई भी आदेश किसी भी अधिकारी का नहीं है। ऐसे में उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि होने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी अधिकारी है कि वह खसरा नम्बर कि नक्श दुरूस्ती को राजस्व नक्शे मे दर्ज करवा ले। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा न0 270 के स्थान पर खसरा न0 270/1 व खसरा न0 270/1 के स्थान पर खसरा न0 270 राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे।

बहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांगानेर को तहसील सांगानेर के ग्राम इन्द्रपुरी पटवार हल्का शिकारपुरा में स्थित खसरा न0 270 के स्थान पर खसरा न0 270/1 व खसरा न0 270/1 के स्थान पर खसरा न0 270 राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested